उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,
लखनऊ – 226010

संख्या- 167 /09/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह)/2023-26/01-परीक्षा/2023

लखनऊ : दिनांक : 01 अगस्त, 2026

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2023, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा-(प्रा०अ०प०-2022)/01 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा (मुख्य) के स्कोर के आधार पर अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु शार्टलिस्ट हुये 6113 अभ्यर्थियों से प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्र/अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट/निर्धारित पोर्टल के माध्यम से दिनांक 07.04.2026 से दिनांक 06.05.2026 तक अपलोड कराये गये थे।

सूच्य है कि उक्त अर्हता/अभिलेख परीक्षण के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांगता की उपश्रेणी श्रवण शक्ति में ह्रास (H.H.) के रिक्त रहने वाले पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक 08 अभ्यर्थियों तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के रिक्त रहने वाले पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक 192 अभ्यर्थियों अर्थात अर्हता / अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपूरक सूची के लिये चिन्हित कुल 200 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं पुनरीक्षित कट-ऑफ अंक को मा० आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तदनुसार अनुपूरक सूची हेतु श्रेणीवार चिन्हित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक तथा कटऑफ अंक निम्नवत हैं:-

श्रेणी–श्रवण शक्ति में ह्रास (H.H.)

(अनुक्रमांक)

00001412	00019569	00027044	00057155
00013909	00022422	00036452	00061358

श्रेणी–उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु

(अनुक्रमांक)

00000286	00005739	00011547	00017269	00022841	00026288
00001293	00005978	00012305	00017785	00023129	00026401
00002345	00006404	00012394	00018246	00023555	00026598
00002382	00007443	00012831	00018485	00023909	00027299
00002984	00007454	00012928	00018658	00024172	00027806
00003170	00007513	00013060	00018662	00024175	00028104
00003247	00007938	00013307	00019371	00024515	00028242
00003382	00007954	00013356	00019836	00024997	00028250
00004554	00008665	00013375	00020613	00025428	00029185
00004726	00008925	00013405	00020664	00025605	00029228
00004794	00009238	00016048	00021153	00025609	00029525
00004939	00009400	00016652	00021456	00025763	00029818
00005007	00009551	00016708	00022137	00025975	00030129
00005352	00010448	00016773	00022424	00026124	00030150
00005718	00011006	00017034	00022835	00026208	00030588

00030909	00039008	00046302	00050989	00056450	00061159
00031189	00039378	00046540	00051608	00056613	00061335
00031866	00039733	00046885	00051819	00057049	00061590
00032145	00039889	00046990	00052026	00057236	00061756
00032330	00040187	00047460	00052651	00057393	00062197
00032569	00040390	00048113	00052872	00058072	00063039
00032639	00041449	00048472	00052874	00058074	00063279
00033232	00041590	00048486	00053207	00058186	00063303
00033536	00042344	00048616	00053852	00058251	00063711
00034242	00042361	00049027	00054088	00058645	00063821
00035016	00043231	00049622	00054429	00059440	00064261
00035832	00043669	00049698	00054456	00059846	00064887
00035899	00043958	00049726	00054598	00059964	00065293
00038294	00043998	00049868	00054734	00060142	00065633
00038509	00046103	00050161	00055673	00060433	00065780
00038530	00046217	00050772	00055822	00060733	00066155
00038625	00046264	00050826	00056058	00060884	00066344

पुनरीक्षित कट–ऑफ अंक:–

क्र0सं0	क्षैतिज श्रेणी	पुनरीक्षित कट–ऑफ अंक
1	श्रवण शक्ति में ह्रास (H.H.)	32.50
2	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु	17.50

सूच्य है कि अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अन्तिम चयन परिणाम नहीं है। अतएव अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अन्तिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन सम्बन्धी अन्तिम परिणाम अर्हता/अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथासमय घोषित किया जायेगा।

तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपूरक सूची के लिये चिन्हित कुल 200 अभ्यर्थियों *को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे* ***दिनांक 03.08.2026 से अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि 09.08.2026 निर्धारित है।***

प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपूरक सूची के लिये चिन्हित 200 अभ्यर्थियों *द्वारा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट/निर्धारित पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत हैं:-*

01- अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्र तथा अन्य अपेक्षित सुसंगत अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट / निर्धारित पोर्टल, https://upsssc.gov.in के माध्यम से ही अपलोड किए जाएँगे। किसी अन्य माध्यम (ई-मेल, डाक, व्यक्तिगत प्रस्तुति आदि) से भेजे गए अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

02- अभिलेख अपलोड करने का लिंक केवल निर्धारित तिथि एवं समयावधि तक ही सक्रिय रहेगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात लिंक स्वतः निष्क्रिय (deactivate) हो जाएगा। अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार्य नहीं होंगे तथा अभिलेख अपलोड न करने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

03- लॉगिन करने हेतु अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण संख्या प्रविष्ट करेंगे। तत्पश्चात पंजीकृत मोबाइल नंबर / ई-मेल आई० डी० पर एक ओ०टी०पी० (One Time Password) प्राप्त होगा। उक्त ओ०टी०पी० को प्रविष्ट करने के उपरांत अभ्यर्थी लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन विवरण की सुरक्षा एवं गोपनीयता की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

04- अभ्यर्थियों को अपनी नवीनतम रंगीन (कलर) फोटो अपलोड करनी होगी। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए। फोटो के कम से कम 75% हिस्से में चेहरा (ठुड्डी से शिखर तक) स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फोटो में बैकग्राउंड हल्का (सफेद / हल्का ग्रे) होना चाहिए। फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति, जानवर या वस्तु नहीं दिखनी चाहिए। अभ्यर्थी पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन आँखें स्पष्ट दिखनी चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ (Neutral expression) रखें। आँखें खुली और सीधे कैमरे की ओर देखती हुई होनी चाहिए। फोटो का साइजः 50 KB से 100 KB के बीच तथा .jpg/.jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए।

05- विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रासंगिक / वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेबपोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि तक अपने अपलोड किये गये अभिलेखों को देखा (View) जा सकता है तथा अपलोड किये गये अभिलेखों में संशोधन (Modification) किया जा सकता है।

06- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी अभिलेख पूर्ण, स्पष्ट, पठनीय और विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप हों। यदि अपलोड किए गए अभिलेख अपूर्ण, अस्पष्ट, अपठनीय या विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो संबंधित अर्हता/आरक्षण का दावा अस्वीकार किया जा सकता है और अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकता है।

07- यदि किसी अर्हता के सापेक्ष अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र पृथक-पृथक हैं, तो अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन कर एक PDF फाइल के रूप में अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि PDF फाइल का न्यूनतम आकार 200 KB तथा अधिकतम आकार 02 MB से अधिक नहीं होना चाहिए।

08- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के समय प्रविष्ट विवरण (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक विवरण आदि) तथा अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता हो। उक्त प्रविष्टियों एवं अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा तथा भिन्नता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

09- अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता, वैधता और प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। आयोग किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन करा सकता है तथा अभिलेखों के असत्य, अवैध, कूटरचित अथवा भ्रामक होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

10- अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

11- आयोग अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

12- इंटरनेट, सर्वर, डिवाइस या अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अभिलेख अपलोड करने की प्रक्रिया समय से पूर्ण कर लें।

13- वांछित अभिलेख अपलोड न कर पाने, अपलोड किये गये अभिलेखों में संशोधन न कर पाने, तकनीकी समस्या, व्यक्तिगत कठिनाई अथवा अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड न कर पाने के आधार पर किसी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

14- ***अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों के आधार पर ही पात्र / अर्ह पाये जाने की दशा में सम्बन्धित पद हेतु नियमानुसार चयन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किये जाने हेतु विशेष/अतिरिक्त सतर्कता बरतना सुनिश्चित करें।***

15- अर्हता / अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किये जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अन्तिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन सम्बन्धी अन्तिम परिणाम यथासमय घोषित किया जायेगा।

16- उपर्युक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा तथा अपलोड किये गये अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति / अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

17- अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त अभ्यर्थी को Declaration से सहमत होते हुए वेरीफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर SUBMIT बटन को क्लिक करना होगा। SUBMIT बटन को क्लिक करने के उपरान्त ही अभिलेख अपलोड करने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण होगी। अभिलेख अपलोड करने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी को स्क्रीन पर Print Form बटन प्रदर्शित होगा, जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।

उपर्युक्त के क्रम में विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2023 के अंतर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी पदों हेतु क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत दिव्यांगता की उपश्रेणी श्रवण शक्ति में ह्रास (H.H.) के रिक्त रहने वाले पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक 08 अभ्यर्थियों तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के रिक्त रहने वाले पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक 192 अभ्यर्थियों अर्थात अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपूरक सूची के लिये चिन्हित कुल 200 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे समस्त वांछित अभिलेख अपलोड करने सम्बन्धी प्रक्रिया ***दिनांक 03.08.2026 से 09.08.2026*** तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(हरिकेश चौरसिया)
सचिव।